CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

मध्यकालीन भारत में प्रशासन–व्यवस्था का एक अध्ययन

डॉ.सत्यवीर
सहायक आचार्य
सम्बल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन
नवलगढ़ रोड़, शिवसिंहपुरा, सीकर
Email-nathjisatyaveer@gmail.com, Mobile-*9460435460*

First draft received: 22.11.2023, Reviewed: 29.11.2023, Accepted: 23.12.2023, Final proof received: 29.12.2023

सार-संक्षेप

भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ई0 में इब्राहीम लोधी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने 1527 ई0 में खनवा की लड़ाई में राणा सांगा, 1528 ई0 में चन्देरी की लड़ाई में मेदनीराव और सन् 1530 ई0 में घाघरा की लड़ाई में महमूद लोधी तथा शेर खान जैसे अफगानों को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ता प्रदान की। बाबर के आक्रमणों के परिणामस्वरूप 'दिल्ली– सल्तनत' के खण्डहर पर जिस नये शासक वंश की नींव पड़ी; उसे मुगल वंश कहा गया और जिसका अस्तित्व 1526 ई0 से सन् 1857 ई0 तक बना रहा। इस काल में अनेकों मुगल सम्राटों का उदय व पतन हुआ तथा भारतीय राजनीति व प्रशासनिक–व्यवस्था ने नवीन परिवर्तनों का साक्षात्कार किया।

मुख्य शब्द : *केन्द्रीय प्रशासन, प्रान्तीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन आदि,*

प्रस्तावना

मुगल सम्राटों ने अपनी कार्य–शैली व रूचि के अनुसार मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। बाबर व हुमायूँ का अधिकतर समय भारत में 'मुगल वंश' की नींव रखने व उसमें मजबूत करने में लगा। इसलिये बाबर व हुमायूँ प्रशासनिक–व्यवस्था की ओर ध्यान न दे सकें। साधारणतया; इन मुगल सम्राटों के काल में प्रशासन का ढांचा सल्तनतकालीन प्रशासनिक–व्यवस्था पर ही निर्भर रहा। इनके बाद के मुगल शासकों ने लगभग पूरे भारत को एक ही प्रशासनिक ढाचें के अधीन करने में सफलता प्राप्त की। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार भारत के बड़े भू–भाग में हो चुका था। अकबर की हिन्दूओं के प्रति अपनाई गई उदारता व सद्भावना की नीतियों के परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य में राजनैतिक एकता व शान्ति बनी रही। ऐसे में मुगल बादशाह को प्रशासनिक–व्यवस्था की स्थापना व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने का अवसर उपलब्ध हुआ। ''अकबर एक महान सेनापति ही नहीं बल्कि एक महान साम्राज्य निर्माता व महान प्रशासक भी था।'' बाबर के पास इतना समय ही नहीं था कि वह राज्य प्रबन्ध की ओर ध्यान दे सके। हुमायूँ जीवन भर लुढ़कता ही रहा और लुढ़कता हुआ ही जीवन से बाहर हो गया। वह भी राज्य प्रबन्ध की ओर ध्यान न दे सका। शेरशाह सूरी ने इस ओर महत्वपूर्ण कार्य किया, परन्तु जल्दी ही मृत्यु हो जाने के कारण वह अपने काम को कोई स्थायी रूप न दे सका। इस प्रकार यह सब कार्य अकबर को ही करना पड़ा, जिसने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय प्रशासन–व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। उसके द्वारा स्थापित प्रबन्ध व्यवस्था थोड़े–बहुत परिवर्तनों के साथ मुगल साम्राज्य के अन्त तक चलती रही। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने मुगल शासन की मुख्य विशेषताओं की रूपरेखा खींची है। मुसलमान शासकों की भांति अकबर अथवा मुगल शासको का शासन प्रबन्ध भी ईस्लाम धर्म के नियमों पर ही आधारित था। उसकी शासन व्यवस्था पर विदेशी प्रभाव विद्यमान था उसमें बहुत सी बातें अरबी–फारसी प्रणाली से ली गई थीं। मुसलमान शासकों ने अपनी प्रबन्ध व्यवस्था में हिन्दुओं को स्थान नहीं दिया था, परन्तु अकबर ने इस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयत्न किया और हिन्दुओं को भी देश के राज्य प्रबन्ध में स्थान दिया।

मुगल राज्य

मुगल राज्य मौलिक रूप में प्रायः सैनिक राज्य ही रहा था। प्रत्येक कर्मचारी को सेना में अवश्य भर्ती होना पड़ता था और उसे पद के अनुसार मनसब दिया जाता था। मुगल राज्य सैनिक राज्य आवश्यक था, परन्तु फिर भी जितना हो सकता था उसे प्रजा की इच्छा के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया गया और कठोरता की अपेक्षा सहनशीलता को अपनाया गया। दिल्ली के सुल्तानों के समान उन्होंने अपनी प्रजा से अत्याचारपूर्ण व्यवहार नहीं किया। मुगल राज्य की विशेषता यह थी कि वह स्वयं सबसे बड़ा उत्पादक था। मुगल सरकार अपनी आवश्यकता की चीजें स्वयं उत्पन्न करती थी। मुगल सरकार कागजी सरकार थी क्योंकि उसमें कोई भी कार्य जुबानी नहीं वरन लिखित रूप में होता था और 'शाही फरमान' जारी किये जाते थे। बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब को योग्य मुगल शासकों में गिना जाता है। मुगल प्रशासन–व्यवस्था की स्थापना का श्रेय जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर को जाता है। जे0एन0 सरकार ने मुगल प्रशासन को फारसी व अरबी का भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप रूपान्तरण कहा है। मुगल शासक शीघ्र ही देश की पारम्परिक प्रशासन–व्यवस्था से निजात प्राप्त नहीं कर सकें। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में स्थापित सरकार व प्रशासन–व्यवस्था में सम्राट की स्थिति सर्वोपरि थी। सम्राट को शासन की सर्वोच्च व पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त थी। वह निरंकुश शासक, सेनापति, धार्मिक नेता; जिसने अपने राज्य के नागरिकों को मृत्यु दण्ड देने की शक्ति भी शामिल थी। राजतन्त्र का यह सिद्धान्त मुस्लिम नियम कानूनों पर आधारित था। सम्राट का चुनाव सभा द्वारा होता था और जो कुरान के नियमों के उल्लंघन पर सम्राट को पद से हटा भी सकती थी।

सल्तनतकालीन काल

सल्तनतकालीन काल में शासक को सुल्तान के नाम से पुकारा जाता था तो मुगल काल में शासक को सम्राट (बादशाह) के नाम से पुकारा गया। कुरान के सिद्धान्त के अनुसार मुगल शासक केवल मुस्लिमों का बादशाह था (अमीर–उल–मोमिन), सच्चे धर्म का पालन करने वालों का नेता और साधारणतया अपनी मुस्लिम जनता (फहमीत) के प्रति अपने राजकार्यो का उत्तरदायित्व रखता था। बाबर व हुमायूँ राज्य के मुस्लिम सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। इसलिये बादशाह के तौर पर उन्होने इस्लामिक नियम जो कुरान पर आधारित थे, लागू करने का पूरा प्रयत्न किया; परन्तु जैसे ही अकबर शासक बना, उसने राज्य के इस्लामिक सिद्धान्त को छोड़ दिया और वह अब (अमीर–उल– मोमिन) सच्चे धर्म को मानने वालो का नेता नहीं रहा। वह बिना धार्मिक व जातिगत भेदभाव के सभी नागरिकों का शासक (बादशाह) बन गया। ''वह विश्वास करता था कि एक शासक हजारो गुणों के बावजूद इस पद (बादशाहत) के योग्य नहीं हो सकता, यदि वह सर्वव्यापी शान्ति व सद्भाव उत्पन्न नहीं कर सकता और वह अपनी प्रजा को बिना किसी धार्मिक व अन्य

भेदभाव के शासित करने में असमर्थ रहता है।'' अकबर मानता था कि बादशाह सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ है और वह जमीन पर ईश्वर की छाया का प्रतिरूप है। इसलिये वह सर्वशक्तिमान है। सभी प्रकार की प्रशासनिक शक्तियाँ उसमें निहित होती है। राज्य का मुखिया होने के अतिरिक्त वह शाही फौज का सेनापति और न्याय का प्रमुख स्त्रोत है। यद्धपि, बादशाह की प्रशासनिक कार्यो में मन्त्री सुझाव देकर सहायत करते थे परन्तु वह उनके सुझाव व विचारों को मानने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं है। अन्तिम निर्णय राजा द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि, मुगल बादशाह सर्वोच्च व सर्वोपरि शक्तियाँ रखते हैं परन्तु इस का मतलब निरंकुश शासक होना नहीं है। मुगल शासक साधारणतया आम जनता के हितों की अवहेलना नहीं करते थे व अनावश्यक तौर पर जनता पर अत्याचार नहीं करते थे। वे जनता के विचारों व इच्छाओं को उचित स्थान व सम्मान देते थे और प्रशासन को इस प्रकार व्यवस्थित करते थे कि जिससे आज जनता की प्रशंसा व सम्मान प्राप्त किया जा सके। ''मुगल बादशाहों में अकबर से लेकर शाहजहाँ तक अपने को आम जनता का सेवक समझते थे तथा जन सेवा को अपना प्रमुख कर्त्तव्य मानते थे। इसलिये उन्हें कल्याणकारी निरंकुश बादशाह कहा गया।'' मुगल शासन में प्रधानमंत्री का कोई ज्यादा महत्व नहीं था। वास्तविक शक्ति बादशाह में ही निहित थी। प्रधानमंत्री केवल सहायक के तौर पर कार्य करता था। बादशाह अपनी इच्छा से ही प्रधानमंत्री व अन्य मन्त्रियों का प्रयोग करता था। अबुल फजल के अनुसार ''अकबर कहता है कि यदि मैं किसी को राज्य का शासन करने के योग्य पाऊँ तो तुरन्त उसके कंधो पर यह भार डाल दूँ और अपने को उस क्षेत्र से बाहर कर लूँ। यह भगवान के प्रभाव का ही परिणाम है कि मुझे अब तक ऐसा योग्य मन्त्री नहीं मिला, अन्यथा आम जनता समझती की मेरे सभी प्रयास उसके प्रयासों का फल है।'' मुगल शासन के अन्तर्गत प्रशासन कार्य बादशाह के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर निभाये जाते थे। वह योजनाओं के बनाने, मंजूर करने व उसके कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ होता था। मुगल अधिकारियों को राजा की शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता था, जिन्हें बादशाह किसी भी समय वापिस ले सकता था। यद्धपि अपने कार्यकाल में उन्हें दैनिक शासकीय–व्यवहार संचालित करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त थी। उनकी नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी और उसी के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता था। वे राजकीय योजना के भाग मात्र थे। ''बादशाह जो इस संसार में सम्मान व क्षमता का सबसे बड़ा स्त्रोत था, अपने अधिकारियों को प्रशासनिक शक्तियाँ अपनी सद्भावना व विश्वास पर देता था जिसका अधिकारियों को ध्यान रखना होता था।''

प्रशासन

मुगल प्रशासन को शासन की सुविधा के उद्देश्य से तीन भागों में बांटा गया था। विभाजन क्षेत्रीय आधार पर होने के कारण प्रशासनिक कार्यो का संचालन कुशलतापूर्वक चलता रहा। प्रशासन का संगठन निम्न तीन आधारों पर किया गया –

1. केन्द्रीय प्रशासन
2. प्रान्तीय प्रशासन
3. स्थानीय प्रशासन

ग्रामीणों के आपसी लड़ाई–झगड़ो को सुलझाना, ग्राम स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रबन्धन, लोगों के जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बच्चों के लिये शिक्षण का प्रबन्ध करने आदि के स्थानीय महत्व के कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाते थे। पंचायत व पंचों पर साधारणतयाः ग्रामीणों की गहरी आस्था व विश्वास था; क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि पंचों के मुख से स्वयं परमेश्वर बोलता है। अतः प्रायः पंचायतों के फैसलों का सम्मान किया जाता था। एस0सी0 राय चौधरी के अनुसार ''पंचायतों का प्रमुख कार्य ; जान–माल की देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य–सुविधाएँ, लोक–निर्माण कार्य और साफ–सफाई की व्यवस्था करना था।'' ग्राम पंचायत ; धार्मिक और नैतिक विषयों पर भी ग्रामीणों का मार्गदर्शन करती थी। यह ग्राम में विभिन्न तीज–त्यौहारों को मनाने से जुड़े प्रबन्धन और अपने क्षेत्राधिकार में कानून–व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी उत्तरदायी थी। ग्राम पंचायतों को कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे जिससे यह ग्रामीणों के छोटे–छोटे मामले सुलझा देती थी। ''विदेशी यात्रियों ने पंचायत को छोटा गणतन्त्र कहा है।''

मुगल सम्राट न केवल महान सेनापति तथा साम्राज्य निर्माता ही थे वरन् वे योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में उचित व समयानुकूल सुधार किये। मुगल साम्राज्य का संगठन ; केन्द्रीय प्रशासन, प्रान्तीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के तौर पर किया। भारत में मुगल प्रशासनिक ढाँचे की नींव रखने का श्रेय अकबर को जाता है जो एक उच्च कोटि का प्रशासक और योग्य प्रबन्धकर्ता था। ''ऐसी सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ प्रबन्ध–व्यवस्था की नीवं रख कर वास्तव में मुगल साम्राज्य की नींव को अकबर ने भारत में पक्का कर दिया था।'' अकबर द्वारा संगठित प्रबन्ध व्यवस्था थोड़े–बहुत परिवर्तनों के साथ मध्यकालीन भारत के अन्त तक चलती रही।

सारांश

अतः स्पष्ट होता है कि मुगलों ने राज्य–प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करने तथा उसमें अनेक सुधार लाने का हर स्तर पर उचित प्रबन्ध किया। वर्तमान में, मध्यकालीन भारतीन प्रशासन–व्यवस्था की छाप भारतीय प्रशासन पर बहुत ही सीमित स्तर पर देखी जा सकती है। अतः मुगल प्रशासन–व्यवस्था गुणों–अवगुणों के होते हुए तत्कालीन परिस्थितियों में सफल प्रशासन–व्यवस्था रही।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, वासुदेवशरण : कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1978।
2. अग्रवाल, गोविन्द : सतीप्रथा एक अध्ययन एवं विवेचन, देखिए, मरूभारती, अप्रैल, 1980 अंक–1, पृ0–30।
3. अल्तेकर, अनन्त सदाशिव : प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, वाराणसी, 1968।
4. ओझा, गौरीशकर हीराचन्द्र : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (600. 1200), इलाहाबाद, 1951।
5. द पोजिशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, दिल्ली, 1956।
6. इलियट एण्ड डाउसन : भारत का इतिहास, जिल्द–1, 1973, जिल्द 2.3, 1974 आगरा (हिन्दी अनुवाद)।
7. हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1943।
8. मिश्रा, रेखा : वीमेन इन मुगल इंडिया, दिल्ली।
9. शर्मा, गोपीनाथ : राजस्थान का इतिहास, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा।
10. श्रीवास्तव, कृष्ण चन्द्र : प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा।
11. श्रीवास्तव, आर्शीवादीलाल : मुगलकालीन भारत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा।
12. उपाध्याय वासुदेवशरण : पूर्व–मध्यकालीन भारत (6वीं से 12वीं शती ई0), प्रयाग।
13. उपाध्याय भगवतशरण : कालिदास का भारत, भाग 1–2, वाराणसी, 1963–64।
14. उपाध्याय, रामजी : प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका, इलाहाबाद, 1951।
15. उपाध्याय, वी. : सोशल–रिजिशस कण्डीशन ऑफ नार्दन इण्डिया (700.1200 ए.डी.), वाराणसी, 1964।
16. वामन पुराण : ए स्टडी, वाराणसी, 1964।
17. वर्मा हरिशचन्द्र : मध्यकालीन भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।